

कार्यवाही

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सुमित्रा V/A 9/10/24

हुयम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-2, 3 33

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तामील
जारी हुए

2024/73

श्री 61. लखनवात

श्री 24/12/24-1 9A-7

9/10
24

सुमित्रा बनाम बालमुकुन्द वगैरह (2024/79)
 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उपरिथत।
 अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा
 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमियों के संबंध में
 लोक अदालत की भावना के तहत आपसी सहमति हो गई है। इस कारण
 अपीलांट अपील के तहत कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना
 पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः विधिक कार्यवाही का अधिकार
 सुरक्षित रखते हुए अपील को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने के आदेश प्रदान
 करावें। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने इस पर अनापत्ति जाहिर करते हुए निवेदन
 किया कि यदि अपील को विद्धो किया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति
 नहीं है। अपीलांट सुमित्रा चौहान, कैलाश कंवर स्वयं उपस्थित हुए एवं
 स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रति पेश की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।
 रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने भी आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं
 और अपील को इसी स्तर पर विद्धो करवाना चाहता है। अतः अपीलांटस को
 सशर्त अपील विद्धो किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित
 प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0
 स्वीकार किया जाकर अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस द्वारा अपील को
 आगे नहीं चलाये जाने से अपील को सशर्त विद्धो किये जाने की अनुमति दी
 जाकर अपील विद्धो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फौसलशुमार
 होकर नम्बर से कम हों।

अदालत अजमेर

अपीलांट

Shankar

22/12/24

Identified

by M

Amal

9/10/24

अपीलांट

Identified

by [Signature]